

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामेश्वर लाल बनाम माधोराम वर्मा

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधे. क्र.नं- 198/2015

27.07.2022

दिनांक 22.06.2022 को इकजाई पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी
न्यायालय अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)